



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE

Statutory body under an Act of Parliament

(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेसविज्ञप्ति

ब्यूरो के प्रमुख

9 मई, 2021

आईसीएसआई का कोविड -19 महामारी के दौरान सीएस सदस्यों और छात्रों को सहयोग

जैसा कि देश इस भारी स्वास्थ्य संकट से बाहर निकल रहा है, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान अपने हितधारकों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और सभी संभव समर्थन प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा है। तदनुसार, संस्थान ने अपने सदस्यों और छात्रों दोनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

संस्थान में एक कंपनी सचिव बेनेवोलेंट फंड (CSBF) है जो मृतक सदस्यों (60 वर्ष की आयु तक) के परिवारों वालों को वित्तीय सहायता और शिक्षा भत्ता प्रदान करता है। यह फंड सदस्यों द्वारा स्वयं या उनके आश्रितों के लिए किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति (योग्य मामले होने पर) करता है।

अब संस्थान ने गैर CSBF सदस्य और CSBF सदस्य जो 60 वर्ष या उससे अधिक हैं एवं जिनके पास 10,00,000/- (दस लाख) रुपये से अधिक का बीमा कवरेज नहीं है, के लिए 10,00,00,000/- (केवल दस करोड़) रुपये का एक विशेष कोविड -19 सहायता कोष बनाए जाने का प्रस्ताव किया है।

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 के दौरान कोविड -19 के कारण जान गंवाने वाले दिवंगत सदस्य (सदस्यों) के कानूनी उत्तराधिकारी को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी:

क) गैर CSBF सदस्य 5,00,000/- (केवल पांच लाख) रुपये।

ख) CSBF सदस्य, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, 2,00,000/- (केवल दो लाख) रुपए है, जो कि CSBF के तहत लाभ के अलावा होंगे।

इसके अलावा संस्थान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य सी पी ई क्रेडिट आवर्स में कमी में पूरी तरह से छूट देते हैं।

इसके अलावा, संस्थान ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे वित्त वर्ष 2021-22 के लिये, ICSI सदस्यों के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस शुल्क और लाइसेंस शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दें।

साथ ही छात्रों के लिए, संस्थान ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे उन सभी उम्मीदवारों को एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अस्थायी पंजीकरण के लिए छूट प्रदान करें, जिन्होंने सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) उत्तीर्ण किया है और 2021 में केंद्रीय और राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित 12 वीं परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। इन सभी उम्मीदवारों एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अस्थायी पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर 10 + 2 परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

इस तथ्य से सहमत होकर कि, जब हम साथ मिलकर कोई काम करते हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, सीएस नागेंद्र डी राव, अध्यक्ष, आईसीएसआई ने कहा "असाधारण समय असाधारण उपायों की मांग करता है। संस्थान ने हमेशा अच्छी प्रथाओं का पालन किया है। संस्थान इस समय व्यक्ति की तात्कालिक आवश्यकताओं को समझता है और इसलिए एक समावेशी और सतत विकास की दिशा में सुधार के हर चरण में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu